प्ररूप सं. 10ङ

[नियम 21कक *देखिए*]

किसी सरकारी सेवक या किसी [कंपनी, सहकारी सोसाइटी, स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, संस्था, संगम या निकाय] में किसी कर्मचारी द्वारा धारा 89(1) के अधीन राहत का दावा करने के लिए, धारा 192(2क) के अधीन 31 मार्च, 20.... को समाप्त हुए वर्ष की आय की विशिष्टियां प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

1. कर्मचारी का नाम और पता ....

2. [1][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक] ....

3. निवास की प्रास्थिति ....

निर्धारण वष....................से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान आय की वे विशिष्टियां,
जो आयकर नियम, 1962 के नियम 21क में निर्दिष्ट हैं

		रुपए
1.	(*क*) नियम 21क के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त वेतन	....
	(*ख*) नियम 21क के उपनियम (3) के उपबधों के अनुसार पूर्व सेवाओं के, जो 5 वर्ष की अवधि से कम नहीं हैं, संबंध में उपदान की प्रकृति का संदाय	....
	(*ग*) नियम 21क के उपनियम (4) के उपबधों के अनुसार कम से कम 3 वर्ष की निरंतर सेवा के पश्चात् या जहां नियोजन की अवधि का अनवसित भाग 3 वर्ष से कम का नहीं है, नियोजन में या नियोजन समाप्त करने के संबंध में नियोजक या पूर्व नियोजक से प्रतिकर की प्रकृति का संदाय	....
	(*घ*) नियम 21क के नियम (5) के उपबंधों के अनुसार पेंशन के संराशिकरण का संदाय	....

2. ऊपर निर्दिष्ट संदायों की विशिष्टियों के ब्यौरे, यथास्थिति, उपाबंध 1, 2, 2क, 3 या 4 में दिए जा सकते हैं।

....

कर्मचारी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ...यह घोषणा करता हूँ कि ऊपर किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

तारीख................................को सत्यापित किया गया।

स्थान................................ ....

तारीख................................ *कर्मचारी के हस्ताक्षर*

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

उपाबंध 1

[प्ररूप सं. 10ङ की मद 2 *देखिए*]

बकाया या अग्रिम वेतन

1. कुल आय (बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किए गए वेतन को छोड़क	....
2. बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किया गया वेतन	....
3. कुल आय (बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त वेतन से बढ़ी हुई) (मद 1 और 2 को जोड़े)	....
4. कुल आय पर कर (मद 3 के अनुसार)	....
5. कुल आय पर कर (मद 1 के अनुसार)	....
6. बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किए गए वेतन पर कर	....
(मद 4 और मद 5 का अंतर)	....
7. सारणी 'क' के अनुसार संगणित कर	....
(सारणी 'क' के स्तंभ 7 से अग्रनीत)	....
8. धारा 89(1) के अधीन राहत	....
[मद 6 और 7 के सामने उल्लिखित रकमों की बीच के अंतर को दर्शाएं]	....

सारणी 'क'

[उपाबंध 1 की मद 7 *देखिए*]

पूर्व वर्ष	*सुसंगत पूर्ववर्ष की कुल आय (रु.)*	*स्तंभ (1) में उल्लिखित रूप में सुसंगत पूर्व वर्ष के संबंध में बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किया गया वेतन (रु.)*	*स्तंभ (1) में उल्लिखित रूप में सुसंगत पूर्व वर्ष के संबंध में (बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किए गए वेतन द्वारा बढ़ी हुई) कुल आय [स्तंभ (2) और (3) को जोड़ें] (रु.)*	*कुल आय पर कर [स्तंभ (2) के अनुसार] (रु.)*	*कुल आय पर कर [स्तंभ (4) के अनुसार] (रु.)*	*कर में अंतर [स्तंभ 6 के अधीन वर्णित रकम में से स्तंभ (5) के अधीन वर्णित रकम घटाएं] (रु.)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

टिप्पण : इस सारणी में, भिन्न-भिन्न पूर्ववर्षो के संबंध में बकाया या अग्रिम रूप में प्राप्त किए गए वेतन के ब्यौरे प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

उपाबंध 2

[प्ररूप सं. 10ङ की मद 2 *देखिए*]

पांच वर्ष या उससे अधिक किन्तु 15 वर्ष से कम की अवधि तक विस्तारित पूर्व सेवाएं

1. प्राप्त किया गया उपदान ....

2. कुल आय (उपदान सहित) ....

3. मद 2 के सामने उल्लिखित कुल आय पर कर ....

4. कुल आय पर लागू होने वाले कर की औसत दर ....

[मद 3 के सामने उल्लिखित रकम को मद 2 के सामने उल्लिखित रकम से विभाजित करें] ....

5. कर की औसत दर लागू करके उपदान पर संदेय कर ....

[मद 4 के सामने उल्लिखित कर की औसत दर को मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की रकम से गुणा करें] ....

6. उस पूर्व वर्ष के, जिसमें उपदान प्राप्त किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती दो पूर्ववर्षों की कुल आय (*i*) .... (*ii*) ....

7. मद 6 के सामने उल्लिखित दो पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय में मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की आधी रकम जोड़ें (*i*) .... (*ii*) ....

8. मद 7 के सामने उल्लिखित पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर (*i*) .... (*ii*) ....

9. दो पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर की औसत दर जो मद 7 के सामने यथा उल्लिखित उस वर्ष के लिए संगणित उपदान की आधी रकम जोड़कर बढ़ाई गई हो (*i*) .... (*ii*) ....

[मद 8(*i*) और 8(*ii*) के सामने उल्लिखित रकमों को क्रमशः मद 7(*i*) और 7(*ii*) के सामने उल्लिखित रकमों से विभाजित करें] ....

10. मद 9 के सामने उल्लिखित कर की औसत दरों का औसत ....

[मद 9(*i*) और (*ii*) के सामने उल्लिखित कर के औसतों को जोड़ें और इसे 2 से विभाजित करें] ....

11. कर की औसत दरों का औसत लागू करके उपदान पर संदेय कर ....

[मद 10 के सामने उल्लिखित औसत को मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की रकम से गुणा करें] ....

12. धारा 89(1) के अधीन राहत ....

[मद 11 और 5 के सामने उल्लिखित रकमों के बीच का अंतर दर्शाएं] ....

उपाबंध 2क

[प्ररूप सं. 10ङ की मद 2 *देखिए*]

पन्द्रह वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक विस्तारित पूर्व सेवाएं

1. प्राप्त किया गया उपदान ....

2. कुल आय (उपदान सहित) ....

3. मद 2 के सामने उल्लिखित कुल आय पर कर ....

4. कुल आय पर लागू होने वाले कर की औसत दर ....

[मद 3 के सामने उल्लिखित रकम को मद 2 के सामने उल्लिखित रकम से विभाजित करें] ....

5. कर की औसत दर लागू करके उपदान पर संदेय कर ....

[मद 4 के सामने उल्लिखित कर की औसत दर को मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की रकम से गुणा करें] ....

6. उस पूर्व वर्ष के, जिसमें उपदान प्राप्त किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की कुल आय

(*i*) ....

(*ii*) ....

(*iii*) ....

7. मद 6 के सामने उल्लिखित तीन पूर्ववर्ती पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय में मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की एक तिहाई रकम जोड़ें

(*i*) ....

(*ii*) ....

(*iii*) ....

8. मद 7 के सामने उल्लिखित पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर

(*i*) ....

(*ii*) ....

(*iii*) ....

9. तीन पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर की औसत दर जो मद 7 के सामने यथा उल्लिखित उस वर्ष के लिए संगणित उपदान की एक-तिहाई रकम जोड़कर बढ़ाई गई, हो (*i*) ....

(*ii*) ....

(*iii*) ....

[मद 8(*i*), 8(*ii*) और 8(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों को क्रमशः मद 7(*i*), 7(*ii*) और 7(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों से विभाजित करें] ....

10. मद 9 के सामने उल्लिखित कर की औसत दरों का औसत ....

[मद 9(*i*) से (*iii*) के सामने उल्लिखित कर के औसतों को जोड़ें और उसे 3 से विभाजित करें] ....

11. कर की औसत दरों का औसत लागू करके उपदान पर संदेय कर ....

[मद 10 के सामने उल्लिखित औसत को मद 1 के सामने उल्लिखित उपदान की रकम से गुणा करें] ....

12. धारा 89(1) के अधीन राहत ....

[मद 11 और 5 के सामने उल्लिखित रकमों के बीच का अंतर दर्शाएं] ....

उपाबंध 3

नियोजन की समाप्ति पर प्रतिकर

शर्त : तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् और जहां नियोजन की अवधि का समाप्त न हुआ भाग भी तीन वर्ष से कम न हो

1. प्राप्त किया गया प्रतिकर ....

2. कुल आय (प्रतिकर सहित) ....

3. मद 2 के सामने उल्लिखित कुल आय पर कर ....

4. कुल आय पर लागू होने वाले कर की औसत दर ....
   [मद 3 के सामने उल्लिखित रकम को मद 2 के सामने उल्लिखित रकम से विभाजित करें] ....

5. कर की औसत दर लागू करके प्रतिकर पर संदेय कर ....
   [मद 4 के सामने उल्लिखित कर की औसत दर को मद 1 के सामने उल्लिखित प्रतिकर की रकम से गुणा करें] ....

6. उस पूर्व वर्ष के, जिसमें प्रतिकर प्राप्त किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों की कुल आय (*i*) ....
   (*ii*) ....
   (*iii*) ....

7. मद 6 के सामने उल्लिखित तीन पूर्ववर्ती पूर्व वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय में मद 1 के सामने उल्लिखित प्रतिकर की एक-तिहाई रकम जोड़ें
   (*i*) ....
   (*ii*) ....
   (*iii*) ....

8. मद 7 के सामने उल्लिखित पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर
   (*i*) ....
   (*ii*) ....
   (*iii*) ....

9. तीन पूर्ववर्ती वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर की औसत दर जो मद 7 के सामने यथा उल्लिखित उस वर्ष के लिए संगणित प्रतिकर की एक-तिहाई रकम जोड़कर बढ़ाई गई हो [मद 8(*i*), 8(*ii*) और 8(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों को क्रमशः मद 7(*i*), 7(*ii*) और 7(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों से विभाजित करें]
   (*i*) ....
   (*ii*)
   (*iii*) ....

10. मद 9 के सामने उल्लिखित कर की औसत दरों का औसत ....
    [मद 9(*i*) से (*iii*) के सामने उल्लिखित कर के औसतों को जोड़े और इसे तीन से विभाजित करें] ....

11. कर की औसत दरों का औसत लागू करके प्रतिकर पर संदेय कर ....
    [मद 10 के सामने उल्लिखित औसत को मद 1 के सामने उल्लिखित प्रतिकर की रकम से गुणा करें] ....

12. धारा 89(1) के अधीन राहत ....
    [मद 11 और 5 के सामने उल्लिखित रकमों के बीच का अंतर दर्शाएं] ....

उपाबंध 4

पेंशन का संराशीकरण

1. पेंशन के संराशीकरण में प्राप्त की गई रकम ....

2. कुल आय (पेंशन के संराशीकरण की रकम सहित) ....

3. मद 2 के सामने उल्लिखित कुल आय पर कर ....

4. कुल आय पर लागू होने वाले कर की औसत दर ....

[मद 3 के सामने उल्लिखित रकम को मद 2 के सामने उल्लिखित रकम से विभाजित करें] ....

5. कर की औसत दर लागू करके पेंशन के संराशीकरण की रकम पर संदेय कर ....

[मद 4 के सामने उल्लिखित कर की औसत दर को मद 1 के सामने उल्लिखित पेंशन के संराशिकरण की रकम से गुणा करें] ....

6. उस पूर्ववर्ष के, जिसमें पेंशन के संराशीकरण की रकम प्राप्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती तीन पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय
(*i*) ....
(*ii*) ....
(*iii*) ....

7. मद 6 के सामने उल्लिखित तीन पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय में मद 1 के सामने उल्लिखित पेंशन के संराशीकरण की एक-तिहाई रकम जोड़ें
(*i*) ....
(*ii*) ....
(*iii*) ....

8. मद 7 के सामने उल्लिखित पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर
(*i*) ....
(*ii*) ....
(*iii*) ....

9. तीन पूर्ववर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक वर्ष की कुल आय पर कर की औसत दर जो मद 7 के सामने यथा उल्लिखित उस वर्ष के लिए संगणित पेंशन के "संराशीकरण" की एक-तिहाई रकम जोड़कर बढ़ाई गई हो
(*i*) ....
(*ii*) ....
(*iii*) ....

[मद 8(*i*), 8(*ii*), और 8(*iii*) के सामने उल्लिखित रकमों को क्रमशः मद 7(*i*), 7(*ii*) और 7(*iii*) में उल्लिखित रकमों से विभाजित करें] ....

10. मद 9 के सामने उल्लिखित कर की औसत दरों का औसत ....

[मद 9 (*i*) से (*iii*) के सामने उल्लिखित कर के औसतों को जोड़ें और उसे तीन से विभाजित करें] ....

11. कर की औसत दरों का औसत लागू करके पेंशन के संराशीकरण की रकम पर संदेय कर ....

[मद 10 के सामने उल्लिखित औसत को मद 1 के सामने उल्लिखित पेंशन के संराशीकरण की रकम से गुणा करें] ....

12. धारा 89(1) के अधीन राहत ....

[मद 11 और 5 के सामने उल्लिखित रकमों के बीच का अंतर दर्शाएं] ....